

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक 05.07.2021

—:आदेश:—

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 22.07.2019 द्वारा गठित राजकीय भवनों, चिकित्सालयों, विद्यालयों आदि का नामकरण दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने संबंधित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति का एतद्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

1. श्री बुलाकी दास कल्ला, अध्यक्ष
मंत्री, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल, कला साहित्य,
संस्कृति और पुरातत्व विभाग
2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य
राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) (स्वतंत्र
प्रभार), पर्यटन एवं देवस्थान विभाग
3. श्री भजनलाल जाटव, सदस्य
राज्यमंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार),
मुद्रण एवं लेखन सामग्री (स्वतंत्र प्रभार), कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य
विभाग

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति अपनी अभिशंषा सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(गायत्री राठौड़)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक २२/७/१९

—:आज्ञा:—

राजकीय भवनों, चिकित्सालयों, विद्यालयों आदि का नामकरण दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने संबंधित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:-

1. श्री बुलाकी दास कल्ला, अध्यक्ष
मंत्री, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल, कला साहित्य,
संस्कृति और पुरातत्व विभाग
2. मास्टर भंवरलाल मेघवाल, सदस्य
मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आपदा प्रबन्धन, सहायता
एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
3. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य
राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) (स्वतंत्र
प्रभार), पर्यटन एवं देवस्थान विभाग

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति अपनी अभिशंषा सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

उपरोक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Dr. J. S. Sharma
22/7/19
o/c (डॉ० राजेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

Dr. J. S. Sharma
o/c शासन सचिव